न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक
श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त
श्री पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम चौधारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही
स्थाई पताः ग्राम– ओडा, तहसील– शिवगज, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 51/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 03 अक्टूम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 29–4–2025 को मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़ छावनी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, निवासी– ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) का नमूना संख्या S-2643 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./640/Act/2025/640 दिनांक 16–5–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03–9–2025 को प्रतिवादी पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम चौधरी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03–10–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 29–4–2025 को 02–15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से पपाराम पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, निवासी– ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज के निरीक्षण के दौरान मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज के अन्दर एक स्टील की टंकी में लगभग 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) आमजन को बिक्री हेतु रखा हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में [illegible] विक्रेता पपाराम चोधरी पुत्र श्री

पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजि.
सिरोही–30700

पोलाराम चौधरी को गवाह श्री प्रतापराम पुत्र वीराराम, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज की दुकान के अन्दर स्टील की टंकी में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये लगभग 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 330/— (रुपये तीन सौ तीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम पनीर (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा (250—250 ग्राम) में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 20—20 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2643, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी पपाराम पुत्र श्री पोलाराम चौधरी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) के चारों नमूना शीशी पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पनीर (लुज) की चारों नमूना शीशीयों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम चौधरी तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता पपाराम चौधरी पुत्र पोलाराम चौधरी व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 30—4—2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 29—4—2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज में प्रतिवादी पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम चौधरी से खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) के [illegible] संख्या S-2643 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./640/Act/2025/6[illegible] दिनांक 16—5—2025 में खाद्य पदार्थ

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

पनीर (लुज) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) (नमूना संख्या S-2643) के विक्रय हेतु प्रतिवादी पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, स्थाई पताः–ग्राम ओड़ा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 75,000/– (अक्षरे रुपये पचहत्तर हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी पपाराम चौधरी पुत्र श्री पोलाराम चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय/आदेश सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested